

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] No. 315] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 2018/वैशाख **25, 1940** 

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 2018/VAISAKHA 25, 1940

#### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2018

सा.का.नि. 454(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 21 फरवरी., 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और,केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 12, धारा 27 और धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,--
  - (i) नियम 17 में उपनियम (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह कि 1 जुलाई, 2018 को और उसके पश्चात् भारी माल यान या भारी यात्री यान को चलाने के लिए यथास्थिति,संयोजन कराने हेतु आवेदन के साथ प्ररूप 5अ में प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए ;";

2657 GI/2018 (1)

(ii) नियम 31 में उपनियम	(1) में सारणी में शीर्ष	कि ङ मंझोले और	सारी वाहनों की	ड्राइविंग : ड्राइविं	व्रेंग थ्योरी-2 वे
अधीन क्रम सं. 20 और उस	ासे संबंधित प्रविष्टिय <mark>ं</mark>	ों के स्थान पर वि	नेम्नलिखित क्रम स	तं. और प्रविष्टिया	ां रखी जाएगी,
अर्थात् :					

20	भारी माल यान/भारी यात्री यान को चलाने हेतु ईंधन प्रगुण चालन पर प्रशिक्षण	(क) प्रशिक्षण के लिए चालन दक्षता परीक्षण उचित सेट अप के प्रयोग द्वारा दूरी या ईधन के निबन्धनानुसार ईंधन प्रगुण को मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रक्रिया करने के लिए 5 कि.मी. सड़क पर किया जाएगा।
		(ख) ईंधन दक्षता और यान अनुरक्षण के सुधार के लिए कक्षा या स्थल पर प्रशिक्षण का संचालन किया जाएगा ।
		(ग) यान का उपयोग चालन परीक्षण करने के लिए किया जाना चाहिए जिनकी ईंधन उपभोग मापन शुद्धता पाँच प्रतिशत है ।
		(घ) पाँच किलोमीटर वाले समुचित ट्रैक जिसमें तीन गति अवरोधक और तीन बाएं या दाएं मोड़ हों, परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा।
		(ङ) प्रशिक्षण की अवधि एक दिन होगी ।
		(च) प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्ररूप 5क में प्रमाणपत्र स्कूल या स्थापन द्वारा जारी किया जाएगा ।

(iii) प्ररूप 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

#### "प्ररूप 5क

[नियम 17 के उपनियम (i) के खंड (ख) के परन्तुक, नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (ख ख) और नियम 31 के उपनियम (1) में सारणी इ के क्रम संख्या 20 को देखें]

## चालन स्कूल या स्थापन द्वारा जारी ईंधन प्रगुण चालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता आधार सं. (यदि आ	है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री
आधार सं. (यदि आर्	त्रेदक के साथ पहले ही उपलब्ध <sup>ः</sup>	है) आधार
आवेदन संख्या (यदि आवेदन किया गय	ा हो ) निवास	इस स्कूल में
तारीख को नामांकित हुए त		
रजिस्ट्रीकृत है और उसने़ से		
अनुसार भारी माल यान/भारी यात्री मोटर या	त की ईंधन प्रगुण चालन पर प्रशिक्षण <sup>ृ</sup>	कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया है ।
		_
तारीख :	हस्ता	<sub>शर</sub>
		नाम
		पदनाम
	नाम औ	र ड्राइविंग स्कूल का पता अनुज्ञप्ति सहित

[फा. सं. आरटी-11028/14/2016-एमवीएल] अभय दामले, संयुक्त सचिव टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 368(अ), तारीख 13.04.2018 द्वारा किए गए ।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2018

**G.S.R. 454(E).**—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 152(E), dated the 21<sup>st</sup> February, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21<sup>st</sup> February, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 12, section 27 and section 118 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -
  - (i) in rule 17, in sub-rule (1), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that on and after the 1<sup>st</sup> day of July, 2018, an application for addition of heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle, as the case may be, shall be accompanied by driving certificate in Form 5A;";
- (ii) in rule 31, in sub-rule (1), in the Table, under the heading 'E-MEDIUM AND HEAVY VEHICLE DRIVING: DRIVING THEORY', for serial number 20 and the entries relating thereto, following serial number and entries shall be substituted, namely:-

	T	
"20	Training on fuel efficient	(a) Driving performance test for training shall be
	driving of heavy goods	conducted on five kilometers stretch of road to
	vehicle/heavy passenger	evaluate fuel efficiency in terms of distance or fuel
	motor vehicle	by using suitable set up and test procedure.
		(b) Class room or onsite training for improving fuel efficiency and vehicle maintenance shall be conducted.
		(c) The vehicle to be used for carrying out driving test, should have capability to measure fuel consumption with an accuracy of five per cent.
		(d) An appropriate track of at five kilometers stretch having three speed brakes and three left or right turns, shall be used for testing.
		(e) Training duration shall be one day.
		(f) On successful completion of training, a certificate in Form 5A shall be issued by the school or establishment."

(iii) after FORM 5, the following FORM shall be inserted, namely:-

#### "FORM 5A

[See proviso to clause (b) of sub-rule (i) of rule 17, clause (aa) of sub-rule (1) of rule 18 and serial number 20 of Table E in sub-rule (1) of rule 31]

# CERTIFICATE OF FUEL EFFICIENT DRIVING TRAINING ISSUED BY DIRIVING SCHOOL OR ESTABLISHMENT

This is to certify that	Shri / Smt. / Kum	nari			son / wife	/ daughte	er of
	Aadhaar	number	(if	already	available	with	the
applicant)					tion n	umber	(if
applied)					residing	5	at
							on
and h							
and that he/she has undergone							
passenger motor vehicle accord	• •	-		imber 20 of	Table E of	rule 31 fo	or the
period from	to	satisfactor	ily.				
ъ.				a.			
Date				Signatu	ıre		• • • • •
				Noma			
				Name	•••••		• • • • • • •
				Desig	gnation		
					,		
Name a	nd address of the dr	iving schoo	l with lice	ence number			
		C					
							"

[F. No. RT-11028/14/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended *vide* notification G.S.R. 368(E), dated 13.04.2018.